संसद के समक्ष अभिभाषण – 16 फरवरी 1981

लोक सभा	–	सातवीं लोक सभा
सत्र	–	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	–	डॉ. एन. संजीव रेड्डी
भारत के उपराष्ट्रपति	–	श्री एम. हिदायतुल्लाह
भारत की प्रधानमंत्री	–	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	–	डॉ. बलराम जाखड़

माननीय सदस्यगण,

संसद के 1981 के इस पहले सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपके सामने काफी लम्बी-चौड़ी और महत्वपूर्ण कार्यसूची है। मैं आपके बजट तथा विधायी कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने की शुभकामना करता हूं।

तेरह महीने पूर्व सरकार ने सत्ता संभाली। तब से वह तीन वर्षों की निष्क्रियता और दिशाहीनता के कारण बिगड़ी हुई देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तेजी और मजबूती से आगे बढ़ रही है। स्फीति-निवारक नीतियों को जोरदार तरीके से अपनाया गया। अधिक उत्पादन द्वारा देश की आपूर्तियों में वृद्धि, क्षमता का बेहतर उपयोग, बुनियादी संरचना का बेहतर तरीके से काम करना, आवश्यक वस्तुओं का आयात और देश की आपूर्तियों में बाधा डालने वाली समाज-विरोधी गतिविधियों को रोकना—इन नीतियों का प्रमुख मुद्दा रहा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो। मुद्रा और ऋण संबंधी चयनात्मक नीति से मुद्रा-विस्तार को नियंत्रित किया गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर में महत्वपूर्ण कमी आई है जो कि 23 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत रह गई है।

1979-80 के अभूतपूर्व सूखे से बड़ी कठिन स्थिति पैदा हो गई। इसके अनर्थकारी परिणामों को रोकने के लिए केन्द्र और राज्यों की सरकारों ने बहुत बड़े पैमाने पर राहत कार्य किये, जिनमें खाद्यान्नों की सप्लाई, पीने के पानी की व्यवस्था और "काम के बदले अनाज" कार्यक्रमों को जोरदार ढंग से अमल में लाना शामिल हैं। इस बात का श्रेय सभी को है ऐसा विराट कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सका।

1979-80 में खाद्यान्नों के उत्पादन में 2 करोड़ 30 लाख टन की कमी आई। गन्ने व तिलहनों के उत्पादन में भी गिरावट आई। इस सरकार ने 1980-81 में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों की ओर ज्यादा ध्यान दिया। उर्वरकों, कीटनाशी औषधियों और सुधरी किस्म के कार्यक्रमों को उपलब्ध कराया गया। सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि की गई। ये उपाय कपास, जूट और गन्ने जैसी खरीफ फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि करने में सहायक हुए। इस खरीफ सीजन में खाद्यान्नों का लगभग 7 करोड़ 95 लाख टन का उत्पादन अब तक का रिकार्ड है। गेहूं की मौजूदा फसल से अच्छी उपज मिलने की संभावना है।

अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी पुनरुद्धार के स्पष्ट चिह्न दिखाई पड़ने लगे हैं। औद्योगिक गतिविधि ने जो उन्नति जून-जुलाई, 1980 में करनी शुरू की थी उसने वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध में अच्छी रफ्तार पकड़ ली। जून, 1979 के मुकाबले में जून, 1980 के उत्पादन में 0.1 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन जनवरी, 1980 के मुकाबले में जनवरी, 1981 में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि परिलक्षित हुई है। बिजली के उत्पादन में 6 प्रतिशत वृद्धि हो जाने की आशा है। कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष इसी अवधि के स्तर से पहले ही 8 प्रतिशत अधिक है। रेलों की कार्यचालन दक्षता का स्तर इस समय ज्यादा ऊंचा है और वे आवश्यक वस्तुओं के लाने-ले-जाने के काम को ज्यादा तेजी से कर रही हैं। उम्मीद है कि 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय आय में लगभग 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

हमारी अर्थव्यवस्था को बाहरी मुद्रास्फीति-दबावों से पृथक रखना संभव नहीं है। भुगतान-शेष की स्थिति चिन्ता का विषय बनी हुई है। तेल के मूल्यों में 1979 से तेजी के साथ हुई वृद्धि का पूरा असर अब 1980-81 में ही महसूस हुआ है। इसकी वजह से और देश के आवश्यक आयातों को प्रभावित करने वाली अन्य मूल्य-वृद्धियों की वजह से, 1978-79 में हुए 6800 करोड़ रुपये के कुल आयात 1979-80 में तेजी के साथ बढ़कर 8500 करोड़ रुपये के हो गये और 1980-81 में वे 11000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के होंगे। इस तरह 1980-81 में व्यापार-घाटे में काफी वृद्धि होने की आशंका है।

सरकार निर्यातों में वृद्धि करने और आयात की जाने वाली वस्तुओं को प्रतिस्थापित करने के लिए यथासंभव कदम उठा रही है। निर्यातों के लिए उत्पादन की अनुमति देना, इस प्रकार के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के प्रति अनुकूल रुख अपनाना और शत-प्रतिशत निर्यातलक्षी यूनिटों को प्रोत्साहन देना शामिल है। सरकार ने निर्यातों के लिए ऋण उपलब्ध होने की स्थिति में सुधार करने के लिए एक निर्यात और आयात बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है।

औद्योगिक निवेश और वृद्धि के लिए वातावरण सुधरा है। लघु और सहायक उद्योगों के लिए निवेश की सीमा को बढ़ाया गया है, स्वत: वृद्धि की सुविधा अधिक

उद्योगों को प्रदान की गई है, और लाइसेंस और मंजूरी की कार्यविधियों को सरल और कारगर बना दिया गया है। इस दिशा में जो अन्य कदम उठाए गए हैं उनमें उत्पादन को और रोजगार के अवसरों को अधिकतम करना, क्षेत्रीय असंतुलनों को ठीक करना, कृषि-आधारित उद्योगों को मजबूत करना और निर्यातलक्षी तथा आयात-प्रतिस्थापक उद्योगों को ज्यादा तेजी से विकास करना शामिल हैं। पिछड़े इलाकों के विकास की एक नई नीति भी तैयार की गई है।

छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और बैंकिंग क्षेत्र से यह अपेक्षा की गई कि वह खासतौर से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए चलाए गए 20-सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करे।

सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। खाद्यान्नों, गन्ने, दालों, कपास, तिलहनों तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की गई है। फसल कटने के बाद अधिप्राप्ति व्यवस्था द्वारा विपणन सहायता सुनिश्चित की गई।

पिछली सरकार की कंट्रोल हटा लेने की नीतियों से गन्ने और चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आई। इसमें सुधार लाने के लिए सरकार ने किसानों को मिलने वाली गन्ने की कीमतों में वृद्धि की, नए कारखानों और विस्तार परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया, कमजोर कारखानों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए मूल्य-निर्धारण फार्मूले को युक्तिसंगत बनाया और एक विकास निधि की स्थापना की। विभिन्न उपायों के फलस्वरूप 1980-81 वर्ष में चीनी के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

तिलहनों के उत्पादन में यथेष्ट वृद्धि न होना चिन्ता का प्रमुख विषय रहा है। देश के लगभग 100 चुने हुए जिलों में तिलहनों के उत्पादन को गहन करने के अलावा, 1981-82 के दौरान सोयाबीन और मूंगफली के विकास से संबंधित दो विशिष्ट परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दी गई है। चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत ग्रीष्मकाल सिंचित मूंगफली की खेती का विस्तार करने के लिए भी वृहत प्रयास किया जा रहा है। तिलहनों के उत्पादन को सुधारने के लिए विभिन्न अन्य उपाय भी किए जाएंगे।

अर्थव्यवस्था पुनरुद्धार के पथ पर अग्रसर है लेकिन हमें संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। विभिन्न वर्गों द्वारा ऊंचे मूल्यों और आयों की वजह से मुद्रास्फीति के दबाव बढ़ने लगते हैं। ऐसी मांगों से निवेश और वृद्धि के लिए उपलब्ध साधनों में भी कमी आने लगती है। इन परिस्थितियों में, यह राष्ट्र के तथा समाज के सभी वर्गों के हित में होगा कि वे अधिक ऊंची आयों और कीमतों की मांग करते समय संयम से काम लें।

छठी योजना रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो गई है। इससे विकास प्रक्रिया में गतिशीलता आई है। इस योजना में 97,500 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्यक्रमों की गति को तेज करने का प्रावधान किया गया है। योजना में वृद्धि और

स्थायित्व में सामंजस्य स्थापित करने, आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियों को सुदृढ़ करने, आत्म-निर्भरता प्राप्त करने, असमानता कम करने, रोजगार पैदा करने और गरीबी को उत्तरोत्तर कम करने की कोशिश की गई है।

नई पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों को इस प्रकार बनाया गया है कि वे इन लक्ष्यों की प्राप्ति में यथेष्ट रूप से सहायक हो सकें। सार्वजनिक क्षेत्र में, कोयला, ऊर्जा, सिंचाई और परिवहन जैसे बुनियादी संरचना वाले क्षेत्रों के लिए आवश्यक प्रावधान करने के अलावा, कृषि और ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। योजना की अवधि के दौरान लगभग 1 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता जुटाई जाएगी। सामुदायिक वनरोपण पर उचित बल दिया जा रहा है। कुटीर, ग्रामीण और लघु उद्योगों के उचित विकास के लिए कार्यक्रमों पर काफी ध्यान दिया गया है। महिलाओं तथा सामाजिक रूप से दलित और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था की गई है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रमों की रफ्तार को कारगर तरीके से बढ़ाया जाए। देहाती इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी।

समदृष्टि पर आधारित विकास के लिए अपनी वचनबद्धता का ध्यान रखते हुए केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जातियों के लिए विशेष योजना को पहली बार सहायता प्रदान कर रही है। आदिवासी उप-योजनाओं के लिए भी सहायता की मात्रा बढ़ा दी गई है। गरीब लोगों को प्रत्यक्ष उत्पादक लाभ प्रदान करने वाले कार्यक्रमों को शुरू किया जा रहा है जिनमें परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण, निविष्टियां, ऋण, प्रशिक्षण और सेवाओं का प्रावधान और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के जरिये मजदूरी वाले रोजगार पैदा करना शामिल है।

विश्व के ऊर्जा संकट को देखते हुए अपने देश के ही स्रोतों पर अधिक आत्मनिर्भर रहने की जरूरत बहुत बढ़ गई है। तेल की खोज के लिए एक जोरदार कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें तटवर्ती और अप-तटवर्ती, दोनों ही इलाके शामिल होंगे। कोयला और परमाणु ऊर्जा जैसे अन्य परम्परागत स्रोतों से दोहन करने में भी तेजी लाई जाएगी।

नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा सूर्य, ज्वार-भाटा और पवन जैसे अन्य नए ऊर्जा स्रोतों को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए एक आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। सरकार एक दीर्घकालिक ऊर्जा नीति तैयार करने के लिए भी कदम उठा रही है जिससे अपव्यय समाप्त हो, ऊर्जा की खपत नियंत्रित हो, ऊर्जा के विविध स्रोत प्राप्त हों और तेल तथा अन्य ऊर्जा स्रोतों के अन्वेषण के कार्य में तेजी आए। सरकार तेल की खपत में किफायत करने के उपाय भी करेगी।

भविष्य में हमारे आर्थिक विकास के लिए समुद्री साधनों के ईष्टतम उपयोग के महत्व के प्रति सरकार सचेत है। महासागर के विशाल साधनों का दोहन करने के लिए

बहुमुखी प्रयास अपेक्षित हैं, इसलिए उपयुक्त संस्थान-संबंधी व्यवस्थाओं का आकलन किया जा रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, गत वर्ष जुलाई में श्रीहरिकोटा से एसएलवी-3 को सफलतापूर्वक छोड़कर देश ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंजिल तय की। 35 किलोग्राम का रोहिणी उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया। 1982 के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह का अंतरिक्ष में छोड़ा जाना एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। इस प्रचालन उपग्रह के उपयोग के लिए भूमि पर यंत्र-तंत्र व्यवस्था को तैयार रखने के लिए वसूली प्रबंध किए जा रहे हैं। 1980-81 के लिए अंतरिक्ष रूपरेखा को स्वीकृति दे दी गई है।

सरकार पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है। एक पर्यावरण विभाग बना दिया गया है। हाल ही में पारित एक अधिनियम का पूरा उपयोग करके, अंधाधुंध कटाई आदि से वनों की रक्षा करने की कोशिश की जा रही है।

देश के सीमांत क्षेत्रों को इंडियन एअरलाइन्स के प्रमुख मार्गों से जोड़ने के लिए सरकार ने फीडर विमान सेवाएं चलाने के लिए "वायुदूत" की स्थापना की है। यह कम्पनी प्रारंभ में पश्चिम बंगाल तथा उत्तरपूर्वी राज्यों और राज्यक्षेत्रों में विमान सेवाएं चलायेगी। उसने 26 जनवरी, 1981 से ये सेवाएं चलानी शुरू कर दीं।

1981 का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष है। सरकार ने इसे मनाने के लिए कार्यक्रम की योजना तैयार कर ली है। इससे विकलांगों की समस्याओं के प्रति अधिक जागरूकता पैदा होगी और समाज के लिए अधिक उपयोगी बनने में उन्हें सहायता मिलेगी। यह भी सोचा जा रहा है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं का विस्तार किया जाए और उनकी चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और रोजगार के लिए उपाय किए जाएं।

सुव्यवस्थित वातावरण में ही आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास संभव है। सांप्रदायिक वैमनस्य, जात-पात के झगड़ों, उग्रपंथियों की गतिविधियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर अत्याचारों और विभिन्न निहित स्वार्थ वाले दलों द्वारा भिन्न-भिन्न मुद्दों को लेकर आन्दोलन छेड़ने की सामान्य प्रवृत्ति की वजह से स्थिति काफी बिगड़ गई थी। पृथकतावादी गतिविधियों और क्षेत्रीय आन्दोलनों ने भी देश के कुछ भागों में स्थिति को बहुत बिगाड़ दिया है। इन सबकी वजह से लोगों को परेशानी हुई है और देश को आर्थिक नुकसान हुआ है।

इसलिए पिछले वर्ष के दौरान समस्त देश में अराजकता पर काबू पाने और शांति स्थापित करने के लिए सरकार ने कई प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाए। राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनः सक्रिय कर दिया गया है। हाल में कुछ समय से कानून और

व्यवस्था की स्थिति में सुधार दिखाई देने लगा है। उम्मीद है कि जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिकों और सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से स्थिति में निरन्तर सुधार होगा।

असम में "विदेशियों" की समस्या का शीघ्र हल खोजने के लिए सरकार ने अत्यंत सहनशीलता से काम लिया है और विभिन्न स्तरों पर गंभीर प्रयास किए हैं। आन्दोलनकारी संगठनों, अल्पसंख्यकों तथा आदिवासियों के प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ, अखिल भारतीय स्तर और राज्य स्तर पर कई बार विचार-विमर्श किया गया है। बड़े खेद की बात है कि सरकार के सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक प्रयासों के बावजूद आन्दोलन को समाप्त नहीं किया गया है। बहरहाल सरकार ऐसा हल खोजने की कोशिश करती रहेगी जो सभी संबंधित पक्षों को मान्य हो।

माननीय सदस्यगण, मैं अब दूसरे देशों के साथ अपने देश के संबंधों की चर्चा करूंगा। अस्सी के दशक में प्रवेश करते हुए, हम आशंकित हैं कि बड़ी ताकतों के बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में हुई घटनाओं और हिन्द महासागर में बड़ी ताकतों की बढ़ती हुई सैनिक गतिविधियों ने हमारे सुरक्षा पर्यावरण पर गंभीर असर डाला है। सरकार सहनशीलता और सौहार्द की शक्तियों को सुदृढ़ करने की कोशिशें जारी रखने के लिए कृतसंकल्प है। शांति में भारत की आस्था, उसके लोकाचार और परम्पराओं में मूलबद्ध होने के अलावा इस प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित है कि जिन मूल तत्वों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का निर्माण हो, वे सैन्य बल के बजाय तर्क से, और आर्थिक जोड़-तोड़ के बजाय निष्पक्ष व्यवहार से प्रेरित हों। इस लोकाचार के अनुरूप, सरकार तनावों को ढीला करने और ऐसे हालात पैदा करने के लिए कार्य करती रहेगी जिनमें इन्सान शान्ति और खुशहाली से रह सकें।

हाल ही में नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन करके हमको खुशी हुई। बैठक में गुट-निरपेक्षता की नीति की सार्थकता की पुनः पुष्टि की गई, तथा इस आन्दोलन की एकता और अखंडता को, जिसमें हमारी गहरी आस्था है, मजबूत किया गया। इस बैठक के निष्कर्षों से तथा प्रथम शिखर सम्मेलन की 20वीं जयन्ती के रूप में आयोजित विशेष अधिवेशन में जारी की गई नई दिल्ली अपील से यह साबित हुआ कि गुट-निरपेक्ष देश विश्व की शान्ति और प्रगति में सकारात्मक योगदान करने के लिए सदैव कृतसंकल्प हैं। इस सम्मेलन में न केवल उन कतिपय बुनियादी सिद्धांतों को दोहराया गया जो देशों के बीच संबंधों पर लागू होने चाहिएं, बल्कि उसने पुनः इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ है। हमें इस पर खुशी हुई कि सम्मेलन की अंतिम घोषणा में हिन्द महासागर में शांति का क्षेत्र, स्थापित करने की मांग को दोहराया गया, जिससे कि सागर-तटवर्ती देशों द्वारा लगभग दस वर्ष पहले की गई मांग का समर्थन हुआ।

ईरान और इराक के साथ हमारे देश के संबंध अत्यंत मैत्रीपूर्ण हैं। उन दोनों के बीच चल रहा संघर्ष हमारे लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। हमने ऐसी सभी प्रक्रियाओं में भाग लिया है और उनका समर्थन किया है जो दोनों देशों के लिए

सम्मानजनक हल हासिल करा सकती हैं। शांति और गुट-निरपेक्षता के महान लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकार का इन कोशिशों को जारी रखने का इरादा है।

सोवियत संघ के साथ उच्चतम स्तर पर यात्राओं के आदान-प्रदान से हमारी चिर-परीक्षित मैत्री और भी मजबूत हुई है। अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ भी हमारे संबंधों की मात्रा और विविधता में वृद्धि हुई है। इन संबंधों का जो स्वरूप उभर रहा है उससे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों में हमारे विश्वास की पुष्टि होती है। इससे हमारे इस विश्वास को बल मिलता है कि भिन्न-भिन्न सामाजिक, राजनीतिक प्रणालियों और विचारधाराओं वाले देश भी यदि परस्पर सहयोग करें तो वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थायित्व ला सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका और हमारा देश समान मूल्यों और आदर्शों में विश्वास करते हैं। हमारी यह कोशिश होगी कि हम दोनों देशों के बीच मौजूदा बहुमुखी मैत्री मजबूत हो। पश्चिम यूरोप के देशों के साथ हितों की नई पारस्परिकता उत्पन्न होने से हम प्रसन्न हैं और हमें उम्मीद है कि सभी क्षेत्रों में हमारे संबंधों में विस्तार होगा।

गत वर्ष सितम्बर में एशियाई और प्रशान्त महासागरीय राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों का स्वागत करते हुए भारत की सरकार और उसकी जनता को बड़ी खुशी हुई। हमने उनके साथ उन मुद्दों पर सार्थक विचार-विमर्श किया जो हम सभी के लिए महत्व के हैं।

ऐतिहासिक और भौगोलिक अनिवार्यताओं के अनुरूप, अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध पारस्परिक विश्वास, लाभ तथा एक दूसरे के प्रति अच्छे पड़ोसियों की भावना से विकसित होते रहे हैं। सरकार कृतसंकल्प है कि इन संबंधों को समानता, आदान-प्रदान और आपसी लाभ के आधार पर आगे भी विकसित और मजबूत किया जाए ताकि इस उप-महाद्वीप के लोग शांति और मेल-मिलाप से रह सकें।

हमने अपनी तरफ से यह बात काफी साफ कर दी है कि हम पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कृतसंकल्प हैं जो शिमला समझौते के साथ शुरू हुई थी। हमें इसकी पूरी आशा है कि हमारा पड़ोसी देश भी इस मार्ग का अनुसरण करने की राजनैतिक इच्छा जाहिर करेगा तथा आपसी समझ-बूझ और आदान-प्रदान की भावना और द्विपक्षीय रूप से मतभेदों को सुलझाने की स्वस्थ प्रवृत्ति को जारी रखेगा।

यह बात बार-बार साफ की गई है कि हम चीन के साथ अपने संबंधों को और सामान्य बनाने तथा सभी अवशिष्ट समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के इच्छुक हैं। हम आशा करते हैं कि चीन यह साबित करेगा कि वह भी ऐसा करने का इच्छुक है।

हमने फिलिस्तीन के लोगों के अनपहार्य अधिकारों की प्राप्ति के लिए उनके न्यायोचित संघर्ष का हमेशा समर्थन किया है। श्री यासर अराफात की भारत यात्रा और नई दिल्ली स्थित फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) के मिशन को भारत द्वारा पूर्ण राजनयिक दर्जा दिया जाना इसी समर्थन की कड़ी है।

दक्षिण अफ्रीका के स्वाधीनता संग्राम के सेनानी श्री नेल्सन मंडेला को अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द के लिए 1979 के जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से विभूषित करना इस बात का द्योतक है कि दक्षिण अफ्रीका जनता के आन्दोलन में भारत की गहरी आस्था है। जिम्बाब्वे के लोगों को आजादी मिलने से हमें बड़ी खुशी हुई। नामीबिया के स्वतंत्रता आन्दोलन का हम सदैव समर्थन करते रहेंगे। अन्य अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण हैं।

मैक्सिको के राष्ट्रपति की हाल की यात्रा से लैटिन अमरीका के साथ हमारे संबंधों में एक नया आयाम जुड़ा है। हमारी यह कोशिश है कि लैटिन और दक्षिणी अमरीका के लोगों के साथ हम सौहार्द और सहयोग के संबंध बढ़ाते रहें।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई है। द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विकास दशक से संबंधित विचार-विमर्श विफल रहे और एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का भविष्य उज्ज्वल नजर नहीं आता। साधनों और तकनीकों की उपलभ्यता के मामले में विकासशील देश भारी दुर्दशा से ग्रस्त हैं। सहयोग और पारस्परिक आदान-प्रदान द्वारा ही सबके लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है।

माननीय सदस्यगण, मैंने जो रूपरेखा प्रस्तुत की है उससे यह स्पष्ट है कि देश आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कठिनतम दौर को पार कर चुका है। बिगड़ी हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को काफी हद तक सुधारा जा चुका है, कृषि उत्पादन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की आशा है तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। प्रयास में एकता हो तो न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की ओर निरन्तर प्रगति करते रहने की विराट संभावनाएं हैं। हमारे जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में दृष्टिकोणों में अन्तर तो हमेशा रहेगा। राष्ट्रव्यापी प्रयास के इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उद्देश्य की अभिन्नता के लिए प्रयत्नशील रहें, भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों के बीच आदान-प्रदान की भावना से सामंजस्य स्थापित करें और अपनी शक्ति को व्यर्थ के वाद-विवादों में नष्ट न करें।

वर्तमान सत्र में, बकाया कार्य के साथ-साथ आपको अनेक नए विधायी कार्यों पर भी विचार करना होगा। इनमें एक तो है निर्यात-आयात बैंक विधेयक, 1981 और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक, 1981 जिसका प्रयोजन संविधान में "वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर कर" को पुनः परिभाषित करना है।

सदन के सभी वर्गों से मेरा अनुरोध है कि जनता के हितों की पूर्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वे देश के सामने जो बहुत जरूरी और दायित्वपूर्ण काम हैं उनमें सहयोग की भावना से जुट जाएं। मेरी कामना है कि आपके प्रयास सफल हों।

जय हिन्द।